

क्रमांक :

केवल शासकीय उपयोग हेतु
निःशुल्क



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

पंचायत निर्वाचन

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण
प्राधिकृत कर्मचारी बुकलेट

BLO Booklet

(जनवरी 2019)

मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए प्राधिकृत कर्मचारी (BLO) के लिए
दावा आपत्ति सम्बंधी विभिन्न आवेदन पत्रों
(ER-1 परिवर्धन, ER-2 विलोपन, ER-3 संशोधन)
दैनिक विवरणी की समेकित पुस्तिका

एवं

मार्गदर्शिका

केवल शासकीय उपयोग हेतु
निःशुल्क



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

पंचायत निर्वाचन

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण
प्राधिकृत कर्मचारी बुकलेट

BLO Booklet

(जनवरी 2019)

मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए प्राधिकृत कर्मचारी (BLO) के लिए
दावा आपत्ति सम्बंधी विभिन्न आवेदन पत्रों
(ER-1 परिवर्धन, ER-2 विलोपन, ER-3 संशोधन)
दैनिक विवरणी की समेकित पुस्तिका
एवं

मार्गदर्शिका

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, कर्त्तव्य एवं दायित्व.	1
2.	मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण.	4
3.	प्रथम चरण – कंट्रोल टेबल का वेरीफिकेशन.	5
4.	द्वितीय चरण – विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर पंचायत की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना.	8
5.	तृतीय चरण – प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना.	13
6.	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए अर्हता और निर्रहता.	19
सेम्पल एवं परिशिष्ट		20–27
ER–1 (परिवर्धन) प्ररूप कुल 25		29–78
ER–2 (विलोपन) प्ररूप कुल 7		79–92
ER–3 (संशोधन) प्ररूप कुल 8		93–108
पावती, कुल 40		109–128
दैनिक विवरणी, कुल 15		129–158

बुकलेट में संलग्न विभिन्न प्ररूपों के उपयोग सम्बंधी जानकारी (हिसाब)

जमा / प्रदाय दिनांक	विवरण	प्ररूपों की संख्या					प्राधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर
		ER-1	ER-2	ER-3	पावती	दैनिक विवरणी	
	प्रदाय	25	7	8	40	15	
	उपयोग						
	शेष*						
	उपयोग						
	शेष						
	उपयोग						
	शेष						

*शेष प्ररूप अगली तिथि के लिए प्रदाय प्ररूप होंगे।

मार्गदर्शिका

अध्याय—1

प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, कर्त्तव्य एवं दायित्व

- 1.1 प्राधिकृत कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग का स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि होता है जो निर्धारित कार्य क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर सूचनाएँ एकत्रित करने तथा मतदाता सूची तैयार करने एवं उसके रख-रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
- 1.2 पंचायत निर्वाचन के लिए, मतदाता सूची ग्राम पंचायतवार/वार्डवार तैयार की जाती है। यह सूची विधानसभा की प्रचलित मतदाता सूची (अर्थात् अद्यतन सूची) पर आधारित रहती है। इस हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची को ग्राम पंचायतवार छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके प्रारूप सूची या प्रारंभिक सूची बनाई जाती है।
- 1.3 तत्पश्चात् निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत से सम्बंधित प्रारूप सूची को, कम से कम 5 दिन तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यालय एवं कतिपय अन्य स्थानों (केन्द्रों पर) आम लोगों के निरीक्षण और उसके सम्बंध में दावे और आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए रखा जाता है साथ ही सम्बंधित जनपद पंचायत और तहसील कार्यालय में भी उनके अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियाँ आम लोगों के निरीक्षणार्थ रखी जाती है।
- 1.4 मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय और तहसील कार्यालय में, सूची का आम लोगों को निरीक्षण कराने के लिए तथा उसमें नए नाम जोड़े जाने या सम्मिलित गलत नाम हटाए जाने या किसी अशुद्धि या त्रुटि को सुधारे जाने के सम्बंध में दावे और आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता है, जिसे "प्राधिकृत कर्मचारी" कहा जाता है।
- 1.5 प्राधिकृत कर्मचारी सम्बंधित तहसील के तहसीलदार/अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार के नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण में कार्य करता है। उपरोक्त राजस्व अधिकारी मतदाता सूची से सम्बंधित कार्य सम्पन्न करने के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की हैसियत में कार्य करते हैं। जिला स्तर पर इस कार्य की देखरेख उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा की जाती है।
- 1.6 ग्राम पंचायत स्तर के ऐसे ही एक केन्द्र पर जहाँ कि प्रारूप मतदाता सूची को तैयार कर उसका निरीक्षण कराया जाएगा और दावे और आपत्तियाँ प्राप्त की जावेंगी, आपको "प्राधिकृत कर्मचारी" के तौर पर नियुक्त किया गया है। आपका चयन इस बात का सूचक है कि इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन ने आपकी क्षमता पर भरोसा किया है, अतः आपसे यह अपेक्षित है कि आप इस भरोसे के अनुरूप अपना कार्य पूरी सावधानी और निष्ठा से सम्पन्न करें।
- 1.7 आपको, आपकी नियुक्ति का आदेश सीधे या आपके विभागीय नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा। नियुक्ति आदेश में इस बात का उल्लेख रहेगा कि आपको आवश्यक सामग्री प्राप्त करने तथा प्रशिक्षण के लिए कब और किस स्थान पर उपस्थित होना है। तदनुसार आपको प्रशिक्षण, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिया जायेगा जो कम से कम 3 घण्टे तक चलेगा। प्रशिक्षण सत्र में सम्बंधित जनपद पंचायत के लिए नियुक्त सभी प्राधिकृत कर्मचारी भाग लेंगे।

- 1.8 प्रशिक्षण में आपको, आपके कार्य के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी। अपनी शंकाओं के निवारणार्थ आपको किसी भी बिन्दु पर प्रश्न पूछने का पूरा अवसर दिया जायेगा। आपको यह भी समझाया जायेगा कि प्रारूप मतदाता सूची कैसे तैयार की जायेगी। दावे और आपत्तियों के लिए निर्धारित प्रारूपों (फार्मस) को कैसे भरा जाना है और उनके सम्बंध में आपके द्वारा की जाने वाली प्रारम्भिक जाँच या पूछताछ में किन-किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना है। इस प्रशिक्षण को आप जितनी गम्भीरता से लेंगे उतना ही आपके हित में होगा क्योंकि बाद में मौके पर आपको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं रहेगा तथा हर प्रकार की स्थिति का सामना स्वयं ही (अकेले) करना पड़ेगा।
- 1.9 प्रशिक्षण सत्र में आपको मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण से सम्बंधित निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी :-
1. प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के लिए –
 - i. विधानसभा निर्वाचक नामावली की प्रति।
 - ii. कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट (सम्पल-1)।
 - iii. शिप्टिंग सूची (सम्पल-2)।
 - iv. विलोपन वेरीफिकेशन सूची (सम्पल-3)।
 - v. संशोधन वेरीफिकेशन सूची (सम्पल-4)।
 2. अंतिम मतदाता सूची तैयार करने के लिए –
 - i. प्रारूप मतदाता सूची।
 - ii. जाँच सूची (सम्पल-5)।
 - iii. डुप्लिकेट सूची {सम्पल-6(1), 6(2), 6(3)}।
 - iv. BLO बुकलेट।
 - v. दावा आपत्ति केन्द्र का बैनर।
 - vi. पहचान पत्र, रजिस्टर, स्टेशनरी आइटम आदि।
- उपरोक्त सामग्री आपको सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

प्राधिकृत कर्मचारियों के कर्तव्य एवं दायित्व

- 1.10 प्राधिकृत कर्मचारी उसे आवंटित किये गये मतदाता सूची के भाग का भली-भांति अध्ययन करेंगे। वह सम्बंधित ग्राम पंचायत का नियमित भ्रमण कर स्थानीय लोगों विशेष कर बुजुर्गों एवं निर्वाचित स्थानीय जन प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करेंगे तथा मृत/शिप्टेड/डुप्लिकेट मतदाताओं के उन नामों को चिन्हित करेंगे, जिन्हें सुसंगत प्रावधानों के अधीन मतदाता सूची रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा हटाने की आवश्यकता है। प्राधिकृत कर्मचारी के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं :-
- मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना तथा मतदान केन्द्र भवन की उपयुक्तता के सम्बंध में रिपोर्ट।
 - शिप्टिंग, विलोपन वेरीफिकेशन और संशोधन वेरीफिकेशन सूची पर त्रुटि रहित मार्किंग समयसीमा में करना।
 - जाँच सूची और डुप्लिकेट सूची के प्रकरणों की जाँच कर निराकरण कराना।

- दावों एवं आपत्तियों को प्राप्त करना।
- परिवर्धन एवं अपमार्जन त्रुटियों की जाँच।
- शिफ्टेड, मृत एवं अस्तित्वविहीन मतदाताओं की पहचान करना।
- मतदाता सूची में वर्तनी, दोहरे नाम की प्रविष्टियों, मतदाता सूची हेडर पेज, फोटो आदि की जाँच।
- मतदाताओं के फोटो प्राप्त करना।
- मतदाताओं के मोबाईल नम्बर और आधार नम्बर प्राप्त करना।
- जिन लोगों के नाम हटाए जाने हैं, उन्हें नोटिस जारी करने के सम्बंध में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- पदाविहित स्थानों पर नामावली के आलेख/निर्धारित नोटिसों को प्रदर्शित करना।
- ई.व्ही.एम. के विषयक जन जागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार।
- भाग में आने वाले भवनों को सही प्रकार से क्रमबद्ध किया जाना तथा अनुभागों की शुद्ध क्रमबद्धता।
- प्राप्त प्रपत्रों का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना।
- पंजीकरण के समय मतदाता को निर्वाचन सम्बंधी सामान्य जानकारी देना।
- चुनाव के पहले मतदाता पर्ची का वितरण।
- सामान्य भौगोलिक चौहद्दी के साथ नजरी नक्शा तैयार करना जिससे विशेष रूप से नई विकसित कॉलोनियों की ओवर लैपिंग न होने पाये।

—*—*—*—

अध्याय-2

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण

- 2.1 वर्ष 2016 से आयोग द्वारा मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण किया जा रहा है। वार्षिक पुनरीक्षण की कार्यवाही में ऑनलाईन ERMS (Electoral Roll Management System) एप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है। इस एप्लिकेशन से विधानसभा और ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों की तुलना कर आवश्यक कार्यवाही करना आसान हो गया है।
- 2.2 फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए आयोग द्वारा म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, म.प्र. को राज्य स्तरीय एजेंसी (एस.एल.ए.) नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। SLA द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक वेण्डर का चयन किया जा चुका है। वेण्डर द्वारा जिले में आवश्यक स्टाफ और कम्प्यूटर इत्यादि की व्यवस्था की गई है।
- 2.3 प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों की पहली जनवरी की स्थिति में वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार है। अब उक्त फोटोयुक्त मतदाता सूची को पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया 03 चरणों में सम्पन्न की जायेगी।
- **प्रथम चरण** – कंट्रोल टेबल का वेरीफिकेशन और अपडेशन। कंट्रोल टेबल में संशोधन होने पर संशोधन अनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की कार्यवाही। मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण।
 - **द्वितीय चरण** – विधानसभा की मतदाता सूची में बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में जोड़ा जायेगा, विलोपित मतदाताओं को हटाया जायेगा और संशोधित मतदाताओं की जानकारी को संशोधित किया जाकर एकीकरण उपरांत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
 - **तृतीय चरण** में दावे आपत्ति प्राप्त की जाकर उनका निराकरण किया जाकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

—*—*—*—

अध्याय-3

प्रथम चरण

कंट्रोल टेबल का वेरीफिकेशन

- 3.1 वेण्डर द्वारा कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट (सैम्पल-1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदाय की जायेगी। चैकलिस्ट में विकासखण्ड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्ड, ग्राम और मतदान केन्द्रों का विवरण अंकित होगा।
- 3.2 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वार्ड और मतदान केन्द्रों की स्थिति के बारे में कंट्रोल टेबल का वेरीफिकेशन दर्ज करना होगा। यदि वेरीफिकेशन नहीं किया जायेगा तो ERMS में आगामी कार्यवाहियाँ नहीं हो सकेंगी।
- 3.3 यदि पंचायतों और नगरपालिकाओं के सम्बंध में परिसीमन और वार्ड विभाजन के कारण कंट्रोल टेबल में संशोधन किया गया है, तो संशोधन अनुसार मार्किंग को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जाये और तदनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही की जाये।
- 3.4 विगत वार्षिक पुनरीक्षण में की कार्यवाही में यह देखने में आया है कि कतिपय पंचायतें अथवा उनके कुछ भाग नगरपालिका में शामिल हो गये हैं इसके बावजूद सम्बंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त पंचायतों की कंट्रोल टेबल को अपडेट नहीं किया गया है और अभी भी उक्त क्षेत्र पंचायतों के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं।
- 3.5 इस सम्बंध में उपयुक्त कार्यवाही किये जाने के लिए वेण्डर से जनपद पंचायतवार ग्राम पंचायतों की सूची मतदाताओं की संख्या के घटते हुए क्रम में प्राप्त की जाये। सूची में ग्राम पंचायत का नाम और उसके अंतर्गत मतदाताओं की संख्या दर्ज होगी, यह संख्या "0" अथवा कुछ भी हो सकती है।
- 3.6 उक्त सूची का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाये। यदि कोई ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से नगरपालिका में शामिल हो गई है तो उसे कंट्रोल टेबल से मतदाताओं सहित हटाया जाये। मतदाताओं को डिलीट करते समय यह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त ग्राम पंचायत के मतदाता पूर्व वर्ष में नगरपालिका क्षेत्र में शिफ्ट किये जा चुके हैं और उनके नाम डुप्लिकेट के तौर पर दर्ज है। यदि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में शिफ्ट नहीं किये गये हैं तो उन्हें डिलीट करने के स्थान पर शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही सम्बंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कराई जाये।
- 3.7 यदि किसी पंचायत का आंशिक भाग नगरपालिका में शामिल हुआ है तो वेण्डर से उक्त पंचायत की वार्डवार सूची प्राप्त की जाये। जो वार्ड नगरपालिका में शामिल हो गये हैं उन्हें कंट्रोल टेबल से मतदाताओं सहित हटाया जाये। मतदाताओं को डिलीट करते समय यह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त ग्राम पंचायत वार्ड के मतदाता पूर्व वर्ष में नगरपालिका क्षेत्र में शिफ्ट किये जा चुके हैं और उनके नाम डुप्लिकेट के तौर पर दर्ज है। यदि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में शिफ्ट नहीं किये गये हैं तो उन्हें डिलीट करने के स्थान पर शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही सम्बंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कराई जाये।

- 3.8 यदि कोई ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से नगरपालिका में शामिल हो गई है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) को कंट्रोल टेबल को अपडेट कर आवश्यकतानुसार मतदाताओं को डिलीट करने अथवा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) से शिफ्ट (Import) कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) से समन्वय करते हुए उचित कार्यवाही इस प्रकार किया जाना सुनिश्चित करें कि न तो मतदाताओं की डुप्लिकेट शिफ्टिंग हो और न ही कुछ मतदाता शिफ्टिंग के स्थान पर डिलीट हो जायें।
- 3.9 पंचायतों के लिए 600 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र बनाये जाने के निर्देश आयोग द्वारा पूर्व में जारी किये गये हैं, लेकिन समीक्षा में यह पाया गया है कि पंचायतों में लगभग 25 प्रतिशत तक मतदान केन्द्र निर्धारित सीमा से अधिक बनाये गये हैं। सामान्य तौर पर यह देखने में आया है कि मतदाताओं की संख्या बढ़ने पर एक मतदान केन्द्र को तोड़कर दूसरा मतदान केन्द्र बनाया गया है। इस प्रक्रिया में एक के बाद एक मतदान केन्द्र बढ़ते चले गये हैं, लेकिन मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण का ध्यान नहीं रखा गया है। उदाहरण के लिए यदि किसी मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या 800 हुई तो उसे 500 और 300 मतदाताओं के दो मतदान केन्द्रों में विभाजित कर दिया गया है। भविष्य में 500 वाले मतदान केन्द्र के मतदाता यदि फिर बढ़कर 800 हो गये तो उसे पुनः 02 भागों में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार 1000 मतदाताओं के लिए 03 मतदान केन्द्र बना दिये गये हैं, जबकि युक्तियुक्तकरण करने से 02 मतदान केन्द्रों में भी काम चल सकता था। मतदान केन्द्रों की अधिकता से न केवल चुनाव सम्बंधी प्रक्रियाएँ बढ़ती हैं, बल्कि निर्वाचन व्यय भी बढ़ता है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अब मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करने का निर्णय लिया है।
- 3.10 मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करने का आशय यह नहीं है कि मतदान केन्द्रों की संख्या बेवजह कम की जाये। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम 01 मतदान केन्द्र स्थापित होना अनिवार्य है। इसी प्रकार 02 कि.मी. की भौगोलिक परिधि में भी मतदाता को मतदान केन्द्र उपलब्ध कराया जाना अभी भी आवश्यक रहेगा।
- 3.11 मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण करने के प्रयोजन से कंट्रोल टेबल की चैकलिस्ट में मतदान केन्द्र से सम्बंधित मतदाताओं की संख्या भी प्रदर्शित होगी। कंट्रोल टेबल की चैकलिस्ट निकालकर मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण करने के सम्बंध में परीक्षण हेतु पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) को सौंपी जाये। प्राधिकृत कर्मचारी अपनी ग्राम पंचायत से सम्बंधित मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही का प्रस्ताव, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- 3.12 प्राधिकृत कर्मचारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) मतदान केन्द्रों के सम्बंध में कंट्रोल टेबल का परीक्षण करेंगे और निम्नलिखित बिन्दुओं पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :—
- मतदाताओं की संख्या को युक्तियुक्त करते हुए मतदान केन्द्रों की संख्या में कमी किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव।
 - वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केन्द्रों के भवनों में युक्तियुक्त परिवर्तन के प्रस्ताव।
 - मतदाताओं की संख्या और भौगोलिक सीमा को ध्यान में रखते हुए मतदान केन्द्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव।

- 3.13 मतदान केन्द्रों की संख्या के सम्बंध में परीक्षण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाये :-
- प्रत्येक पंचायत के लिए न्यूनतम एक मतदान केन्द्र ।
 - पंचायतों के लिए यथासम्भव 600 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र, लेकिन मतदान केन्द्र में बढ़ोत्री मतदाता की संख्या 750 से अधिक होने पर ही की जाये ।
 - 02 कि.मी. की भौगोलिक सीमा में एक मतदान केन्द्र अवश्य बनाया जाये ।
 - नदी-नाले, पहाड़ी आदि प्राकृतिक विषमताओं के साथ साथ सामाजिक विषमताओं को दृष्टिगत रखते हुए भी मतदान केन्द्र स्थापित किये जायें ।
- 3.14 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त प्रस्तावों के आधार पर परीक्षण उपरांत मतदान केन्द्रों के परिवर्तन के सम्बंध में यथोचित निर्णय लेंगे और तदनुसार कंट्रोल टेबल में मतदान केन्द्रों के सम्बंध में अपडेशन करेंगे ।
- 3.15 कंट्रोल टेबल के सम्बंध में उपरोक्त कंडिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के उपरांत ही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर शिपिंग सूची, विलोपन वेरीफिकेशन सूची और संशोधन वेरीफिकेशन सूची जेनरेट की जाये । उक्त सूचियाँ मार्किंग के लिये प्राधिकृत कर्मचारी को सौंपी जायेंगी ।

—*—*—*—

अध्याय-4

द्वितीय चरण

विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर पंचायत की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना

4.1 इस चरण में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जायेगी :-

- i. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा शिपिंग सूची, विलोपन वेरीफिकेशन सूची और संशोधन वेरीफिकेशन सूची जेनरेट करना और मार्किंग के लिये प्राधिकृत कर्मचारी को सौपना.
- ii. शिपिंग सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में बड़े और नये जोड़े हुए मतदाताओं को प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा की गई मार्किंग के अनुसार पंचायत की अंतिम मतदाता सूची में सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड में शिफ्ट करना.
- iii. विलोपन वेरीफिकेशन सूची में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा किये गये वेरीफिकेशन के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में विलोपित मतदाताओं को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची के सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड से हटाना.
- iv. संशोधन वेरीफिकेशन सूची में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा किये गये वेरीफिकेशन के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची में यथासंशोधित करना.
- v. शिपिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा एकीकरण कर ERMS (Electoral Roll Management System) से फोटोयुक्त एवं फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करना।
- vi. फोटोरहित जेनरेटेड प्रारूप मतदाता सूची को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर अपलोड करना।
- vii. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची को प्रिन्ट कर प्राधिकृत कर्मचारी के माध्यम से विहित स्थानों पर प्रकाशित करना।
- viii. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की जानकारी और प्रचार प्रसार, जनजागरूकता हेतु जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन।
- ix. प्रारूप मतदाता सूची को प्रकाशित किये जाने का प्रमाणपत्र प्राधिकृत कर्मचारी से प्राप्त कर ERMS पर अपलोड करना।

नये एवं बड़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करना

- 4.2 वेण्डर द्वारा शिपिंग सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बड़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए मार्किंग सूची) (सेम्पल-2) प्रदाय की जायेगी। इस सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बड़े हुए मतदाताओं की जानकारी अनुभागवार होगी।
- 4.3 शिपिंग सूची में मतदाता के नाम के आगे वार्ड नम्बर, पंचायत क्रमांक एवं पंचायत का नाम मार्किंग करने के लिए रिक्त खाने बने हुए हैं।

- 4.4 विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और ग्राम पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, शिफ्टिंग सूची के खाने में वार्ड नम्बर, पंचायत का क्रमांक एवं नाम दर्ज करेगा। प्राधिकृत कर्मचारी को यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करना चाहिए।
- 4.5 शिफ्टिंग सूची में दर्ज शतप्रतिशत समस्त मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
- 4.6 शिफ्टिंग सूची में शतप्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में शिफ्टिंग की प्रविष्टि की जायेगी।
- 4.7 शिफ्टिंग सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं को पंचायत अथवा नगरपालिका में शिफ्ट करने के लिए निर्धारित खाने में मार्किंग होना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता शिफ्टिंग की मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को शिफ्टिंग सूची में मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए। प्राधिकृत कर्मचारी को शीघ्रातिशीघ्र मार्किंग करना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरीफिकेशन

- 4.8 वेण्डर द्वारा विलोपन वेरीफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरीफिकेशन हेतु सूची) (सेम्पल-3) प्रदाय की जायेगी। विलोपन वेरीफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम पंचायत की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।
- 4.9 विलोपन वेरीफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे विलोपन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली खाना बना हुआ है।
- 4.10 विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और ग्राम पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी विलोपित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में विलोपित मतदाता की जानकारी का मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से नहीं होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।
- 4.11 इसका आशय यह है कि विलोपन वेरीफिकेशन सूची में सत्यापन करते समय क्रॉस का निशान केवल उस स्थिति में लगाया जायेगा जबकि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता के सम्बंध में ग्राम पंचायत की मतदाता सूची की जानकारी का मिलान नहीं होता हो। अर्थात् विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता कोई और हो और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में विलोपन के सत्यापन के लिए दी गई जानकारी में कोई और मतदाता हो।
- 4.12 यह स्पष्ट है कि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित समस्त मतदाताओं को अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से हटाया जायेगा। विलोपन का वेरीफिकेशन करते समय प्राधिकृत कर्मचारी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस आधार पर नाम बनाये रखने का निर्णय नहीं ले सकते कि विधानसभा की मतदाता सूची से नाम गलत तरीके से हटाया गया है। ऐसे सभी मामले दावे आपत्ति के समय विचारण में लिये जायेंगे।

- 4.13 विलोपन वेरीफिकेशन सूची में दर्ज शत्रुप्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
- 4.14 विलोपन वेरीफिकेशन सूची में शत्रुप्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं को हटाने की प्रविष्टि की जायेगी।
- 4.15 विलोपन वेरीफिकेशन सूची में दर्ज शत्रुप्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विलोपन वेरीफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरीफिकेशन

- 4.16 वेण्डर द्वारा संशोधन वेरीफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरीफिकेशन हेतु सूची) **(सेम्पल-4)** प्रदाय की जायेगी। संशोधन वेरीफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाताओं की जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम पंचायत की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।
- 4.17 संशोधन वेरीफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे संशोधन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली खाना बना हुआ है।
- 4.18 विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और ग्राम पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी संशोधित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाता की जानकारी का मिलान ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से **नहीं** होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।
- 4.19 संशोधन वेरीफिकेशन सूची में दर्ज शत्रुप्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
- 4.20 संशोधन वेरीफिकेशन सूची में शत्रुप्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं की जानकारी को संशोधित करने की प्रविष्टि की जायेगी।
- 4.21 संशोधन वेरीफिकेशन सूची में दर्ज शत्रुप्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन वेरीफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

शिपिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण

- 4.22 शिपिंग सूची विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर जेनरेट की जायेगी। यह सम्भव है कि एक शिपिंग सूची में दर्ज कुछ नाम पंचायत में और कुछ नाम नगरपालिका में शिफ्ट किये जाना हों। ऐसी कतिपय स्थितियों में विवाद की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। प्राधिकृत कर्मचारी को ऐसे विवाद तत्काल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संज्ञान में लाना चाहिए।
- 4.23 यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है, तो शिपिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- 4.24 यदि सम्बंधित पंचायत और नगरीय निकाय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में नहीं आते है, तो शिपिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।
- 4.25 विवाद के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर एवं सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सम्बंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक कर यह तय करेंगे कि किस मतदाता को ग्राम पंचायत में शिफ्ट करना है और किस मतदाता को नगरपालिका के वार्ड में शिफ्ट करना है। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिपिंग सूची में मार्किंग कर वेरीफिकेशन करेंगे।
- 4.26 कुछ विधानसभा क्षेत्र दो-दो जिलों में भी स्थित है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-78 और 82 सीधी-सिंगरौली जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-167 आगरमालवा-शाजापुर जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-193 झाबुआ-अलीराजपुर जिलों में और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-23 शिवपुरी-दतिया जिलों में आता है। इन जिलों में यदि कोई शिपिंग सम्बंधी विवाद होता है तो विवाद का निराकरण क्रमशः सीधी, आगरमालवा, झाबुआ और शिवपुरी के जिला कलेक्टर द्वारा सम्बंधित अन्य जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से बैठक कर किया जायेगा। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिपिंग सूची में मार्किंग कर वेरीफिकेशन करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करना

- 4.27 शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरीफिकेशन की मार्किंग के लिए प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम एक प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतदाताओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक प्राधिकृत कर्मचारी भी नियुक्त किये जा सकते है।
- 4.28 शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरीफिकेशन की प्रविष्टि ERMS में की जाकर एकीकरण उपरांत फोटोयुक्त और फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट की जायेगी। यदि शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरीफिकेशन की मार्किंग से एक भी मतदाता छूट जायेगा तो ERMS प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं करेगा।
- 4.29 शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरीफिकेशन की जानकारी ERMS में सही सही किये जाने की चैकिंग रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सावधानीपूर्वक चैकलिस्ट से कर लेना चाहिए। वेण्डर द्वारा प्रविष्टि में की गई त्रुटि को नज़रअंदाज़ करने से मतदाता सूची दूषित हो सकती है।

- 4.30 ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से उसकी फोटोरहित प्रति को वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। डिजिटली साईन्ड प्रारूप मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड होने की स्थिति में ही यह माना जायेगा कि प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट कर ली गई है। चूंकि यह कार्य निर्धारित समय पर होना है, अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने और उसे वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही पूर्ण सचेत रहकर नियत समय पर करना होगी।
- 4.31 फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रिन्ट कर मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-10(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए प्रकाशित किया जायेगा। प्राधिकृत कर्मचारी को प्रारूप मतदाता सूची अविलम्ब प्राप्त कर निर्दिष्ट स्थान पर प्रकाशित करना चाहिए और निर्धारित **परिशिष्ट-1** में प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना चाहिए।
- 4.32 प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र तैयार कर ERMS में स्कैन कर अपलोड करेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व अनिवार्य रूप से सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से भी यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।
- 4.33 प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के तत्काल उपरांत स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाये। जिला स्तर पर कलेक्टर और जनपद पंचायत स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाये। पंचायत की जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में जिला पंचायतों के सभी सदस्यों के साथ-साथ समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को शामिल किया जाये। जनपद पंचायत स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में जनपद पंचायत के सभी सदस्यों के साथ-साथ ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी शामिल किया जाये। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची, जाँच सूची, डुप्लिकेट सूची आदि सहित दावे आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया से सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया जाये।

—*—*—*—

अध्याय-5

तृतीय चरण

प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना

- 5.1 दावा आपत्ति केन्द्रों पर, प्रारूप मतदाता सूची के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे एवं आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। आयोग द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी विहित आवेदनपत्रों के प्ररूप में परिवर्तन कर नये प्ररूप ER-1 (परिवर्धन), ER-2 (विलोपन), ER-3 (संशोधन) और ER-4 (अपील) जारी किये हैं।
- 5.2 प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने के तत्काल उपरांत वेण्डर द्वारा **जाँच सूची (सेम्पल-5)** प्रदाय की जायेगी। **जाँच सूची** ऐसे मतदाताओं की सूची है जिनके नाम ग्राम पंचायत की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जाँच सूची में शामिल इन मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच की जायेगी, जाँच के आधार पर युक्तियुक्त कार्यवाही की जायेगी। दावे आपत्ति प्राप्त करते समय प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची के साथ-साथ यह सूची भी प्रकाशित की जायेगी, ताकि इन नामों के सम्बंध में दावे आपत्ति प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर उपलब्ध हो सके।
- 5.3 **जाँच सूची** में शामिल मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा की जाये और जाँच के आधार पर यदि मतदाताओं के नाम विलोपित करना आवश्यक हो तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार नाम विलोपित किये जायें। मृत मतदाता और शिफटेड मतदाताओं के सम्बंध में जाँच के आधार पर कार्यवाही की जाये।
- 5.4 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वेण्डर से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट होने के तत्काल बाद **डुप्लिकेट सूची (सेम्पल-6)** प्राप्त कर लेना चाहिए। **डुप्लिकेट सूची** में ऐसे मतदाताओं की जानकारी होगी जिनके नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक स्थानों पर दर्ज है। यह सूची 3 भागों में होगी :-
- डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम एक ही विकासखण्ड में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है **{सेम्पल-6(1)}**।
 - डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक विकासखण्डों में दर्ज है **{सेम्पल-6(2)}**।
 - डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले की ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है **{सेम्पल-6(3)}**।
- 5.5 मतदाता सूची में दो स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज होने के संबंध में आयोग के पत्र क्रमांक एफ-52-4/2015/तीन/नपा/745, दिनांक 19.10.2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिले के लिए चयनित वेण्डर से प्राप्त दोहरे नामों वाली सूची (**डुप्लिकेट सूची**) के सम्बंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दोहरे नामों के विलोपन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। डुप्लिकेट सूची में दर्ज मतदाताओं के सम्बंध में निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी :-

क्रमांक	विवरण	कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी
1.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम एक ही विकासखण्ड में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है।	सम्बंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

क्रमांक	विवरण	कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी
2.	डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक विकासखण्डों में दर्ज है।	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
3.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम जिले के ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है।	1. सम्बंधित विकासखण्ड के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई की जायेगी। 2. यदि मतदाता का नाम पंचायत की मतदाता सूची में रखे जाने का निर्णय लिया जाता है तो इसकी सूचना नगरीय निकाय के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जायेगी।

- 5.6 डुप्लिकेट सूची के सम्बंध में की जाने वाली कार्यवाही में प्राधिकृत कर्मचारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सहयोग करेगा।

दावे तथा आपत्तियों के संबंध में कार्यवाही

- 5.7 मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण के तहत निर्धारित समयावधि में प्राधिकृत कर्मचारी (BLO) द्वारा दावे आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र प्ररूप ER-1, ER-2, ER-3 में ग्राम पंचायतों में स्थापित दावा आपत्ति केन्द्रों पर लिये जायेंगे।
- 5.8 मतदाता सूची के निरीक्षण के लिए निर्धारित अवधि के दौरान आपको केन्द्र में प्रत्येक दिन (सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर) प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निरंतर उपलब्ध रहना चाहिए, इस बीच यदि कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची देखना चाहे तो उसे तत्परता से सूची का निरीक्षण करने का अवसर देना चाहिए, तदुपरान्त यदि वह सूची में अपना या अपने परिवार के, किसी सदस्य का नाम (जो कि मतदाता के रूप में रजिस्टर किये जाने के लिए पात्र है), जोड़े जाने के लिए या सूची में अंकित नाम, आयु या अन्य किसी विवरण में हुई त्रुटि को दूर करने के लिए या सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति के नाम हो हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र (दावा या आपत्ति) पेश करना चाहे तो उसे सुसंगत फार्म (प्ररूप) तत्परता से उपलब्ध कराया जाए, दावे या आपत्तियाँ प्रत्येक कार्यकारी दिन, प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के बीच कभी भी प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु ऐसा करने के लिए नियत आखिरी तारीख को केवल 3:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है, यदि कोई व्यक्ति दावा या आपत्ति, आपको प्रस्तुत करने के बजाय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सीधे देना चाहे या डाक से भेजना चाहे तो, वह ऐसा कर सकता है।
- 5.9 सामान्यतया व्यक्तिशः प्रस्तुत आवेदन-पत्र ही स्वीकार किए जाएं, लेकिन यदि एक ही परिवार के सदस्यों से संबन्धित आवेदन-पत्र परिवार का कोई सदस्य इकट्ठा प्रस्तुत करे तो उन्हें ग्रहण कर लिया जाए, यदि कोई अन्य व्यक्ति भले ही वह किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि क्यों न हो, दावे और आपत्तियां थोक में प्रस्तुत करना चाहे तो उन्हें ग्रहण न किया जाए तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ता को सलाह दी जाए कि वह संबन्धित व्यक्तियों से अलग-अलग आवेदन-पत्र दिलाए, क्योंकि आवेदकों के दावों और आपत्तियों पर जांच के सिलसिले में उनसे अलग-अलग पूछताछ की जानी होगी।
- 5.10 दावे तथा आपत्तियाँ निम्नांकित प्रकार की हो सकती हैं :-
(क) मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना,
(ख) नाम गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों के साथ उल्लिखित होना, तथा
(ग) मतदाता सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित होना, जो पात्र नहीं है।

- 5.11 दावे और आपत्तियाँ आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप (फार्म) में ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। वे अपने मत से तैयार किये गये किसी फार्म में स्वीकार नहीं किये जा सकते, परन्तु उनका आयोग द्वारा छपाये गये फार्म में ही होना आवश्यक नहीं हैं। वे निर्धारित प्ररूप की फोटोकापी में, या टाईप किये हुए या हाथ से लिखकर तैयार की गई कापी में भी स्वीकार किये जा सकते हैं।
- 5.12 आयोग द्वारा विहित प्ररूप निम्नांकित है :-
- (1) **परिवर्धन दावा—(प्ररूप—ER-1)** — दावा केवल मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई मतदाता अपना नाम सूची के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अंतरित करना चाहता हो तो उसके द्वारा भी इसी प्ररूप (फार्म) में दावा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (2) **विलोपन आपत्ति (प्ररूप—ER-2)** — ऐसी आपत्ति केवल ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम संबन्धित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पहले से ही सम्मिलित है अर्थात् जो संबन्धित ग्राम पंचायत का मतदाता है।
 - (3) **संशोधन आपत्ति (प्ररूप—ER-3)** — यह आपत्ति मतदाता सूची में सम्मिलित किसी प्रविष्टि के ब्यौरे (जैसे— मकान नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, आयु) के संबन्ध में अशुद्धि या त्रुटि पर आपत्ति हो सकती है। ऐसी आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे वह प्रविष्टि संबन्धित है, इसके लिए किसी अन्य मतदाता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है।
- 5.13 आपका यह कर्तव्य है कि दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति यदि प्ररूप (फार्म) भरने में या किसी प्रविष्टि को ठीक से समझने में आपसे मार्गदर्शन या सहायता मांगे तो आप ऐसी सहायता या मार्गदर्शन प्रसन्नतापूर्वक दें।
- 5.14 आपको यह अवश्य देख लेना चाहिये कि जो दावे या आपत्तियाँ आपको प्रस्तुत की जाये वे सही प्ररूप में हो सभी प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से भरी गई हों, कोई कमी हो तो उसे प्रस्तुति के समय ही आवेदनकर्ता से ठीक करा लें। विशेष कर यह देख लें कि आवेदक का पता (गृह क्रमांक, ग्राम इत्यादि) ठीक से लिखा है, अपूर्ण तथा अस्पष्ट प्रविष्टियों के कारण प्रारंभिक जाँच में कठिनाई हो सकती है।
- 5.15 कोई दावा तथा आपत्ति प्राप्त होने पर आपके द्वारा दावेदार या आपत्तिकर्ता को “आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना” हाथों-हाथ दी जाए। मामले में रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए वह तारीख डाली जाए जो दावा या आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के दिन के ठीक 3 दिन बाद पड़ने वाले कार्यकारी दिवस की तारीख हो। उदाहरणार्थ यदि दावा या आपत्ति आवेदन-पत्र 5 तारीख को प्रस्तुत किया जाता है तो सुनवाई के लिए पेशी तारीख 09 की डाली जाए। साथ ही दावेदार या आपत्तिकर्ता से पेशी तारीख की सूचना प्राप्त हो जाने के प्रमाण स्वरूप, पावती पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए जाएं या अंगूठे का निशान लगवा लिया जाए।
- 5.16 प्रस्तुत प्रत्येक दावे और आपत्ति के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुतकर्ता से पूछताछ की जाए और उसके आधार पर दावा या आपत्ति के प्ररूप में, सुसंगत स्थान पर, अपनी रिपोर्ट दर्ज की जाए, पूछताछ निम्नांकित बिन्दुओं के विषय में की जाए :-
- i. 01 जनवरी को दावेदार की आयु 18 वर्ष की हो जाने के संबंध में क्या प्रमाण है? उसकी स्कूल में अंकित जन्म तिथि क्या है और यदि ऐसे कोई कागज़ (प्रमाणपत्र) उपलब्ध न हो तो उसके पास अन्य कौन सा कागज़ या परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई है। यदि दावेदार की आयु 18 वर्ष से कहीं अधिक हो (जैसे कि 25 या 30 वर्ष) तो उसके द्वारा पूर्व में विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज न कराए जाने का क्या कारण था? क्या ऐसा कारण संतोषजनक है ?

- ii. वह सामान्यतया कहाँ रहता है अर्थात् उसका मामूली तौर पर निवास का स्थान कहाँ है और वह क्या करता है ? उसके परिवार में और कौन-कौन से लोग हैं तथा क्या उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हैं ?
 - iii. जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसका नाम मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हटाये जाने की मांग) की गई है, उसकी मृत्यु कब/कहाँ हुई ? क्या ग्राम की मृत्यु पंजी में उसकी मृत्यु दर्ज है ?
 - iv. जिस व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में बने रहने पर इस आधार पर आपत्ति (तथा नाम हटाए जाने के लिए मांग) की गई है, कि ऐसा व्यक्ति गांव का मामूलीतौर पर निवासी न होकर किसी और गांव में रहता है या नौकरी या अन्य व्यवसाय के सिलसिले में अन्यत्र चला गया है या किसी महिला के मामले में वह विवाह के पश्चात् ससुराल चली गई या ऐसा व्यक्ति किसी अन्य कारण से अपात्र या निरह है, वह कब और कहाँ चला गया है या उसकी कथित अपात्रता का आधार क्या है ?
- 5.17 उपरोक्त पूछताछ के पश्चात् ही आपको दावे या आपत्ति प्ररूप में सुसंगत स्थान पर अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिए, उसमें यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि आपकी राय में दावा या आपत्ति स्वीकार करने योग्य है या नहीं ?
- 5.18 पूछताछ के समय आपको यदि दावेदार/आपत्तिकर्ता की ओर से कोई कागज़ पत्र प्रस्तुत किये जाएं तो उन्हें भी उसके प्ररूप (फार्म) के साथ संलग्न कर दिया जाए, यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आपकी रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह चाहे तो मामले में सुनवाई के दौरान अपनी संतुष्टि के लिए आगे और पूछताछ कर सकता है या अलग से और भी जाँच कराकर अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकाल सकता है।
- 5.19 आपके द्वारा, प्रत्येक दिन प्राप्त दावों और आपत्तियों का दैनिक विवरण उसी दिन शाम को निर्धारित प्ररूप में तीन प्रतियों में तैयार किया जाए। इस विवरण की दो प्रति, प्राप्त दावे और आपत्ति मूल प्ररूपों के साथ, अगले दिन रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज दी जाए, जबकि तीसरी प्रति अपने कार्य स्थान अर्थात् केन्द्र के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रातः 10:00 बजे आम लोगों की सूचना और अवलोकन के लिए लगा दी जाए। नोटिस बोर्ड पर लगाई गई प्रति 3 दिन तक न हटाई जाए। इसके पीछे मंशा यह है कि यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने या किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो ग्राम के लोगों को उसका पता चल जाए और वे ऐसे प्रयास को निष्फल करने के लिए आपको अथवा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को तथ्यों से अवगत करा सकें। यदि किसी दिन कोई दावा या आपत्ति प्राप्त न हो तो भी उस तारीख से संबंधित निरंक दैनिक विवरण तैयार किया जाए और उसका उपरोक्तानुसार प्रदर्शन और प्रेषण किया जाए। दैनिक विवरण की वह प्रति जो प्राप्त प्ररूपों (फार्म) सहित रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास पहुंचाई जानी है, को भेजे जाने के संबंध में उन्होंने जो भी व्यवस्था की हो या आपको जैसे भी निर्देश दिये हों, उनके अनुसार ही आपके द्वारा कार्यवाही की जाए।
- 5.20 दावे और आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को अपरान्ह 3:00 बजे के बाद प्रस्तुत किसी दावे या आपत्ति को स्वीकार न किया जाए। उस दिन प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का दैनिक विवरण उसी दिन शाम तक केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया जाए और रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वाली प्रतिलिपि भी (प्राप्त दावे और आपत्ति के प्ररूपों सहित) भेजे जाने हेतु तैयार कर ली जाए।

- 5.21 कार्य पूर्ण हो जाने पर, आखिरी दैनिक विवरण के साथ प्रारूप मतदाता सूची तथा बचे हुए प्ररूप (फार्म) सादे कागज़ पर लिखी गई एक रिपोर्ट के साथ (जिसमें यह उल्लेख हो कि आपको प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कुल कितने दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंप दिये जाएं।
- 5.22 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस.एल.ए.) नियुक्त किया गया है। राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस.एल.ए.) द्वारा प्रत्येक जिले में वेण्डर नियुक्त किया गया है। वेण्डर से डाटा एण्ट्री के उपरान्त चेकलिस्ट (परिवर्धन, निरसन, संशोधन) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त होगी, जिसकी जाँच आपके द्वारा की जाएगी। नियत समय में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात् फोटोयुक्त मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कोई त्रुटि नहीं हो यह आपके द्वारा सुनिश्चित किए जाएगा।
- 5.23 प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा संकलित दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ERMS में एन્ટ्री करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-
- i. पंचायत में स्थापित दावा आपत्ति केन्द्र पर प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे और आवेदन पत्र प्राप्त करने की पावती अनिवार्य रूप से आवेदक को दी जायेगी।
 - ii. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा यथासम्भव प्रतिदिन दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास "दैनिक विवरण रिपोर्ट" के साथ जमा कराये जायेंगे। आवेदन पत्र जमा कराने की पावती अनिवार्य रूप से प्राधिकृत कर्मचारी को दी जाये।
 - iii. क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदन पत्रों को जमा कराने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी को अपने कार्यालय में प्रतिदिन बुलाने की बजाये, दावा आपत्ति केन्द्र से सीधे आवेदन पत्र संकलित करने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इस स्थिति में भी प्राधिकृत कर्मचारी को पावती अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
 - iv. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा किये गये आवेदन पत्रों की दिनांकवार जानकारी एक रजिस्टर में संधारित की जाये। रजिस्टर में प्राधिकृत कर्मचारी से आवेदन प्राप्त करने वाले कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायें, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके, के प्राधिकृत कर्मचारी से आवेदन पत्र किस कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये गये हैं।
 - v. प्राधिकृत कर्मचारी से प्राप्त आवेदन पत्रों पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बारकोड लगाये जायें।
 - vi. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को "बारकोड" उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराये गये "बारकोड" का हिसाब रखेंगे।
 - vii. "बारकोड" किसी भी स्थिति में वेण्डर द्वारा सीधे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये जाये। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केवल उन्हीं बारकोड का उपयोग करेंगे, जो उन्हें उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - viii. "बारकोड" लगाने के बाद आवेदन पत्रों की एन्ट्री रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ERMS में कराई जायेगी।

- ix. आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ERMS में एक से अधिक एकाउन्ट भी बना सकते हैं और ऐसे हर एकाउन्ट से आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री की जा सकती है। एन्ट्री करने के लिए कितने एकाउन्ट बनाना है, यह निर्णय आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं लेंगे।
 - x. आवेदन पत्रों की एन्ट्री करते समय ERMS में बारकोड को स्कैन करना होगा। यदि बारकोड स्कैनर उपलब्ध नहीं है तो बारकोड में अंकित नम्बर की प्रविष्टि करना भी पर्याप्त होगा।
 - xi. आवेदन पत्रों की ERMS में प्रविष्टि होने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निराकरण की प्रविष्टि डिजिटल हस्ताक्षर से दर्ज करेंगे।
 - xii. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक बार में एक से अधिक (Multiple) आवेदन पत्रों का निराकरण ERMS में डिजिटल हस्ताक्षर से कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्रों को एक एक कर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट किये गये सभी आवेदन पत्र एक साथ एक डिजिटल हस्ताक्षर से निराकृत किये जा सकते हैं।
 - xiii. निराकृत आवेदन पत्रों की चैकलिस्ट निकालकर जाँच की जा सकती है और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सुधारा जा सकता है।
- 5.24 दावे आपत्तियों और डुप्लिकेट नाम वाले मतदाताओं के प्रकरणों के निराकरण के पश्चात् ग्राम पंचायत की अनुपूरक सूची तैयार कर पहली जनवरी की स्थिति में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जायेगी।
- 5.25 प्रारूप मतदाता सूची की भांति अंतिम मतदाता सूची भी ERMS से जनरेट की जायेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाइट पर उसकी फोटोरहित प्रति अपलोड की जायेगी और फोटोयुक्त मतदाता सूची को प्रिन्ट निकालकर नियत स्थानों पर प्रकाशित किया जायेगा। प्राधिकृत कर्मचारी निर्दिष्ट समयावधि में विहित स्थानों पर प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे और तत्सम्बंधी प्रमाणपत्र **परिशिष्ट-2** में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- 5.26 अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में निर्धारित प्रारूप में मय प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से उक्त प्रमाणपत्र अनिवार्य तौर से प्राप्त कर लेना चाहिए।
- 5.27 मतदाता सूची की सॉफ्ट कापी सी.डी. में तैयार की जायेगी। जिले के सभी विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की एक सी.डी. रहेगी। सी.डी. में मतदाता सूची डिजिटल हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित की जायेगी। ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को उनसे सम्बंधित क्षेत्रों की मतदाता सूची की एक सी.डी. निःशुल्क प्रदाय की जाये।
- 5.28 अन्य रुपये 100/- प्रति सी.डी. का भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। रुपये 2/- प्रति पृष्ठ के हिसाब से अंतिम मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय की जायेगी।

—*—*—*

अध्याय—6

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए अर्हता और निरर्हता

- 6.1 कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने का हकदार होगा, यदि वह :—
- (क) अर्हकारी तारीख को (अर्थात् उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार की जा रही है) 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है।
 - (ख) उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र का सामान्य तौर से निवासी है, और
 - (ग) विधानसभा की निर्वाचक नामावली में (जो कि उक्त ग्राम पंचायत से सम्बंधित हो) नाम दर्ज किए जाने के लिये अन्यथा अर्हित है।
- 6.2 कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये अयोग्य (निरर्हित) होगा यदि वह:—
- (क) भारत का नागरिक नहीं है, या
 - (ख) पागल (विकृत चित्त का) है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है, या
 - (ग) प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष सिद्धि के समय से पाँच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, नहीं बीत गई हो, या
 - (घ) निर्वाचन के सम्बंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से सम्बंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित है,
 - (ङ) जो फिलहाल चुनाव के सम्बंध में, भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से सम्बंधित किसी कानून के अंतर्गत मतदान के लिये अयोग्य है।
- 6.3 किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो कि नाम दर्ज कर लिये जाने के पश्चात् निरर्हित हो जाता है, उस मतदाता सूची में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जायेगा। परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि निरर्हता के कारण मतदाता सूची में से काटा गया है उस सूची में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हता समाप्त हो जाए या विधिवत हटा दी गई हो।
- 6.4 मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-2(ख) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के पाँच दिन के भीतर "अपील प्राधिकारी" को अपील कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्बंधित राजस्व अनुभाग या तहसील या खण्ड (अर्थात् जनपद पंचायत क्षेत्र) के लिए जिले में अपील प्राधिकारी पदाभिहित किया गया है।

—*—*—*

Control Table Checklist of Rural Bodies

सेम्पल-1

जिले का नाम : हरदा

विकासखण्ड का नाम : हरदा

पंचायत पंचायत का नाम क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र का नाम	कुल मतदाता	मतदान केन्द्र में सम्मिलित वार्ड वार्ड नं. गांव का नाम
1	सोनखेडी			
	1	शा.प्रा.शाला भवन सोनखेडी	562	1 सोनखेडी 2 सोनखेडी 3 सोनखेडी 4 सोनखेडी 5 सोनखेडी 6 सोनखेडी 7 सोनखेडी
	2	शा.प्रा.शाला भवन कक्ष क्र.1 भुवनखेडी	905	8 भुवनखेडी 9 भुवनखेडी 10 भुवनखेडी 11 भुवनखेडी 12 भुवनखेडी 13 भुवनखेडी 14 भुवनखेडी 15 भुवनखेडी 16 भुवनखेडी 17 भुवनखेडी
2	डगाँवनीमा			
	3	शा.प्रा.शाला भवन डगाँवनीमा	719	1 डगाँवनीमा 2 डगाँवनीमा 3 डगाँवनीमा 4 डगाँवनीमा 5 डगाँवनीमा 6 डगाँवनीमा 7 डगाँवनीमा 8 डगाँवनीमा
	4	शा.प्रा.शाला भवन जिजगाँव कलां	351	9 जिजगाँव कलां 10 जिजगाँव कलां 11 जिजगाँव कलां 12 जिजगाँव कलां
3	भुन्नास			
	5	शा.मा. शाला भवन उत्तरीय खण्ड भुन्नास	723	1 भुन्नास 2 भुन्नास 3 भुन्नास 4 भुन्नास 5 भुन्नास 6 भुन्नास 7 भुन्नास 8 भुन्नास
	6	शा.मा.शाला भवन दक्षिणी खण्ड भुन्नास	631	9 भुन्नास

विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बड़े हुए मतदाताओं को
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में प्रिण्ट करने के लिए सूची

सेम्पल-2

प्रिण्टिंग सूची

विधानसभा : 135 - हरदा

भाग संख्या : 1

प्रिण्टिंग के लिए मार्किंग

मतदाता क्रमांक	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	क्षेत्र U R	वार्ड नंबर	भाग संख्या	मोहला क्र.
अनुभाग : 1-साल्वाखेड़ी, ग्राम-साल्वाखेड़ी, 461331											
83	5	गोपाल भावरे	पिता भीमसिंह	M	22	W/MQ1034875					
84	5	सुनीता	पति राकेश	F	20	W/MQ1110337					
166	12	रोशनी	पिता बुद्धा	F	23	W/MQ1034883					
167	12	सुनील	पिता बुद्धा	M	19	W/MQ1051051					
212	16	राजेश	पिता कल्लुसिंह	M	25	W/MQ1034867					
323	35	रजनी	पिता रामभरोस	F	20	W/MQ1100619					
385	43	ममता	पति राकेश	F	19	W/MQ1107556					
435	48	संगीता	पति राजेश	F	32	W/MQ1051069					
439	48	संगीता	पति सीरिय	F	24	W/MQ1051077					
444	49	आनंद	पिता हरि	M	19	W/MQ1100627					

सेम्पल-3

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची

विलोपन - वेरिफिकेशन सूची

विकासखण्ड : हरदा

जिला : हरदा

ग्राम पंचायत : अबगाँवखुर्द

विधानसभा में विवरण				पंचायत में विवरण				
निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	मतदाता क्र.	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	सत्यापन मार्किंग	
ईपिक संख्या	लिंग	आयु	विलोपन का कारण	ईपिक संख्या	लिंग	आयु	गृह संख्या	(√ / X)
जगदीश	पिता देवचन्द		1149 जगदीश	पिता देवचंद				☐
BYS0023747	M	53	Expired	BYS0023747	M	52	178	
रमेशकुमार	पिता रामचरण		1373 रमेशकुमार	पिता रामचरण				☐
WMQ5861703	M	65	Expired	WMQ5861703	M	64	203/1	
बाबूलाल	पिता मोजीराम		1542 बाबूलाल	पिता मोजीराम				☐
BYS0025056	M	66	Expired	BYS0025056	M	65	219/क	
प्रमोद	पिता प्रहलाद		1585 प्रमोद	पिता प्रहलाद				☐
BYS4650461	M	44	Expired	BYS4650461	M	43	226	

कुल संख्या :

4

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची
संशोधन - वेरिफिकेशन सूची

विकासखण्ड : हरदा				जिला : हरदा				ग्राम पंचायत : सोनखेडी			
विधानसभा में विवरण				नगरीय निकाय में विवरण							
निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो		मतदाता क्र. निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	सत्यापन मार्किंग				
ईपिक संख्या	लिंग आयु गृह संख्या			ईपिक संख्या	लिंग आयु गृह संख्या		(√ / X)				
शिवराम	पिता मुंशी			2 शिवराम	पिता मुंशी		☐				
MP/28/227/003701	M 42			MP/28/227/003701	M 42 1						
पारवती	पति जगदीश			27 पारवती	पति जगदीश		☐				
MP/28/227/003583	F 45			MP/28/227/003583	F 45 3						
शांती	पति रामाधार			130 शांती	पति रामाधार		☐				
MP/28/227/003595	F 67			MP/28/227/003595	F 66 22						
रमेश	पिता मोती			145 रमेश	पिता मोती		☐				
MP/28/227/003312	M 59			MP/28/227/003312	M 58 24						
गायत्री	पति रमेश			146 गायत्री	पति रमेश		☐				
MP/28/227/003289	F 56			MP/28/227/003289	F 55 24						
गंजू	पिता सुकू			170 गंजू	पिता सुकू		☐				
BYS4610291	M 32			BYS4610291	M 31 26						
सुगना	पति बक्सु			181 सुगना	पति बक्सु		☐				
MP/28/227/003302	F 64			MP/28/227/003302	F 63 28						
रामनिवास	पिता रामभाऊ			183 रामनिवास	पिता रामभाऊ		☐				
MP/28/227/003629	M 43			MP/28/227/003629	M 42 29						
सुमन	पति गोरेलाल			188 सुमन	पति गोरेलाल		☐				
MP/28/227/003309	F 58			MP/28/227/003309	F 57 30						
अनिल	पिता गोरेलाल			189 अनिल	पिता गोरेलाल		☐				
BYS4610440	M 32			BYS4610440	M 31 30						
सरोजबाई	पति अनिल			190 सरोजबाई	पति अनिल		☐				
BYS4610317	F 31			BYS4610317	F 30 30						
गना	पति चम्पालाल			199 गना	पति चम्पालाल		☐				
MP/28/227/003847	F 46			MP/28/227/003847	F 45 32						
चैनसिंह	पिता रामभाऊ			210 चैनसिंह	पिता रामभाऊ		☐				
MP/28/227/003608	M 51			MP/28/227/003608	M 50 35						
संतोष	पिता माखन			268 संतोष	पिता माखन		☐				
WMQ0787028	M 22			WMQ0787028	M 21 42						
धीरसिंह	पिता कुंजीलाल			271 धीरसिंह	पिता कुंजीलाल		☐				
MP/28/227/003867	M 49			MP/28/227/003867	M 48 44						

ऐसे मतदाताओं की सूची जिनके नाम पंचायत की अद्यतन मतदाता सूची में तो शामिल है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

विकासखण्ड : हरदा		जांच सूची				ग्राम पंचायत : भाटपरेटिया	
मतदाता क्र.	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो
वार्ड संख्या - 1 (ग्राम : भाटपरेटिया)							
3	1	केसर	पति कैलाश	F	45	MP/28/227/171218	
42	3	राधिका	पिता मदन	F	25	WMQ0641456	
52	5	निर्मला	पति कमल	F	44	MP/28/227/171375	
58	7	केदार	पिता बिहारी	M	66	MP/28/227/171411	
59	7	लक्ष्मी	पति केदार	F	59	MP/28/227/171367	
वार्ड संख्या - 2 (ग्राम : भाटपरेटिया)							
97	14	हरगोविंद	पिता शांतिलाल	M	62	MP/28/227/171332	
98	14	आशिश	पिता हरगोविंद	M	41	MP/28/227/171497	
124	18	अर्पिता	पिता राधेश्याम	F	28	WMQ0553982	
125	18	पूजा	पिता राधेश्याम	F	27		
128	18	ज्योति	पिता राधेश्याम	F	22		
131	19	बीनू	पति हरनाम	F	58	MP/28/227/171511	
132	19	रामहरि	पिता हरनाम	M	41	MP/28/227/171521	
141	20	रश्मी	पिता विष्णुप्रसाद	F	31	WMQ0060251	
170	52	प्रवीण	पिता देवी सिंह	M	21		
वार्ड संख्या - 3 (ग्राम : भाटपरेटिया)							

सेम्पल-6(1)

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
एक ही विकासखण्ड में दो या अधिक स्थानों पर दर्ज है (कुल मतदाता : 30)

विकासखण्ड : हरदा

पंचायत का नाम	वार्ड क्र.	क्रम संख्या	गृह क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
रहटाखुर्द	11	905	154	सेराबाई	महताबासिंह	F	68	BYS0273391		☐	☐
रहटाखुर्द	12	950	154	सेराबाई	महताबासिंह	F	68	BYS0273391		☐	☐
सोनखेडी	10	840	51	ईश्वर	लक्ष्मीनारायण	M	27	BYS4698999		☐	☐
सोनखेडी	11	844	51	ईश्वर	लक्ष्मीनारायण	M	27	BYS4698999		☐	☐

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
(दो या दो से अधिक विकासखण्डों में) (कुल मतदाता : 18)

सेम्पल-6(2)

जिला - हरदा

विकासखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड क्र.	क्रम संख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
वि.खं. खिरकिया	खमलाय	1	3	1	किरण	पति परमानंद	F	43	BZZ4478343		☐	☐
वि.खं. टिमरौ	फुलढो	1	11	5क	शांति	पति सदासी	F	39	BZZ4478343		☐	☐
वि.खं. टिमरौ	फुलढो	4	382	79ख	अमरदास	पिता सरवन	M	58	MP/28/226/216157		☐	☐
वि.खं. हरदा	पांचातलाई	11	847	7	हरौराम	पिता नन्हु	M	62	MP/28/226/216157		☐	☐

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
(नगरीय निकाय एवं पंचायत में) (कुल मतदाता : 14)

सेम्पल-6(3)

जिला - हरदा

विकासखण्ड क्रमांक - 1 (कुल मतदाता : 6)

नगरीय / पंचायत	नगरीय निकाय / विकासखण्ड का नाम	वार्ड क्र.	भाग क्र.	मोहल्ले का नाम / पंचायत का नाम	क्रम संख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
पंचायत					413	39ख	कृष्णाबाई	पति भगवानदास	F	51	MP/28/227/303034		☐	☐
वि.खं. खिरकिया		4		भगवानपुरा										
नगरीय न.प. खिरकिया		2	1	खेडीपुरा रोड	834	121	किरण	पति शांतलाल	F	48	MP/28/227/303034		☐	☐
पंचायत					410	39ख	भारतलाल	पिता हरिशंकर	M	72	MP/28/227/303193		☐	☐
वि.खं. खिरकिया		4		भगवानपुरा										
नगरीय न.प. खिरकिया		2	1	खेडीपुरा रोड	457	60/1	सुनिल	पिता हरिप्रसाद	M	43	MP/28/227/303193		☐	☐

प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-10 के तहत जिला जनपद पंचायतग्राम पंचायत की दिनांक 01 जनवरी के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन दिनांक को किया गया है।

दिनांक :-

स्थान :-

प्राधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम

ग्राम पंचायत

जनपद पंचायत

जिला

अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पंचायत
निर्वाचन नियम, 1995 के तहत जिला
जनपद पंचायतग्राम पंचायत
की दिनांक 01 जनवरी के संदर्भ में फोटोयुक्त
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक
को किया गया है।

दिनांक :-

स्थान :-

प्राधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम

ग्राम पंचायत

जनपद पंचायत

जिला

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

परिवर्धन

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद
पंचायत
जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ऋण पुस्तिका, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन

 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5से.मी.X3.5से.मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण

 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.	
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
तारीख	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत - मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-
	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

- आयु** :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पहचान** :- ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पता** :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ,
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ,
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.	
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
तारीख	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत - मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-
	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

- आयु** :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पहचान** :- ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पता** :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ,
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ,
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.	
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
तारीख	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत - मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-
	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

- आयु** :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पहचान** :- ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पता** :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ,
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ,
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

परिवर्धन

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद
पंचायत
जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ऋण पस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।

पता :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

परिवर्धन

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद
पंचायत
जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ऋण पुस्तिका, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ,
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ,
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

परिवर्धन

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद
पंचायत
जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ऋण पुस्तिका, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन

 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5से.मी.X3.5से.मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण

 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ,
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ,
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)	

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है।
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

આદેશ ક્રમાંક

तारीख

श्री / श्रीमती / कुमारी

का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-

- (क) स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत -
मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद
पंचायत
जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ऋण पुस्तिका, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ,
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ,
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.	
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
तारीख	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत - मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

- आयु** :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पहचान** :- ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पता** :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ,
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ,
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

परिवर्धन

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद
पंचायत
जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, डाईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ऋण पस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ,
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ,
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.	
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
तारीख	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत - मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

- आयु** :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पहचान** :- ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पता** :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5से.मी.X3.5से.मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
(जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.	
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
तारीख	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत - मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-
	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

- आयु** :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पहचान** :- ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पता** :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ,
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ,
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.	
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
तारीख	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत - मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

- आयु** :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पहचान** :- ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पता** :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.	
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
तारीख	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत - मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

- आयु** :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पहचान** :- ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पता** :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन

 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन

 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5से.मी.X3.5से.मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता /पति													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण

 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ,
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ,
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे

 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.	
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
तारीख	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत - मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-
	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

- आयु** :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पहचान** :- ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पता** :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ,
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ,
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

परिवर्धन

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद
पंचायत
जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ऋण पुस्तिका, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

परिवर्धन

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद
पंचायत
जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, डाईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ऋण पस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।

पता :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ,
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ,
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.	
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
तारीख	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत - मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

- आयु** :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पहचान** :- ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पता** :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.	
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
तारीख	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत - मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-
	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

- आयु** :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पहचान** :- ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पता** :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.	
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
तारीख	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत - मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

- आयु** :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पहचान** :- ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पता** :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)	

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है।
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

આદેશ ક્રમાંક

तारीख

श्री / श्रीमती / क्तुमारी

का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-

- (क) स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत -
मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद
पंचायत
जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ऋण पस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ,
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ,
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.	
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
तारीख	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत - मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

- आयु** :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पहचान** :- ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पता** :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.	
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
तारीख	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत - मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-
	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

- आयु** :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पहचान** :- ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पता** :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन

 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन

 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5से.मी.X3.5से.मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम											
उपनाम											
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य								
पिता/पति											
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष							मास			
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y			
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक										
मोबाईल नम्बर											
आधार नम्बर											

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण

 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ,
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ,
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे

 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.	
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
तारीख	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत - मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

- आयु** :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पहचान** :- ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
- पता** :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

परिवर्धन

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद
पंचायत
जिला

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ऋण पस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।

पता :- राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में सम्मिलित नाम पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित 'प्रारूप-ER-2')

मतदाता का विवरण जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने पर आपत्ति है.

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता का नाम	
मतदाता क्रमांक	

आपत्तिकर्ता का मतदाता सम्बंधी एवं अन्य विवरण

नाम										
पिता/पति										
पता										
जिला										
जनपद पंचायत										
ग्राम पंचायत										
ग्राम/वार्ड क्रमांक										
मतदाता क्रमांक										
मोबाईल नम्बर										

आपत्ति का आधार

.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर या
 अंगूठे का निशान

विलोपन

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)	

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है. 2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :- 	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला
---	--

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री / श्रीमती / कुमारी	
द्वारा ER-2 में प्रस्तुत आपत्ति को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक के मतदाता क्रमांक पर उल्लेखित श्री / श्रीमती / कुमारी के नाम को विलोपित कर दिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-

पंचायत निर्वाचन
मतदाता सूची में सम्मिलित नाम पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित 'प्रारूप-ER-2')

मतदाता का विवरण जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने पर आपत्ति है.

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता का नाम	
मतदाता क्रमांक	

आपत्तिकर्ता का मतदाता सम्बंधी एवं अन्य विवरण

नाम										
पिता/पति										
पता										
जिला										
जनपद पंचायत										
ग्राम पंचायत										
ग्राम/वार्ड क्रमांक										
मतदाता क्रमांक										
मोबाईल नम्बर										

आपत्ति का आधार

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर या
 अंगूठे का निशान

सूनवाई के लिए निर्धारित तारीख

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.

तारीख :

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक

तारीख

श्री / श्रीमती / क्तुमारी

द्वारा ER-2 में प्रस्तुत आपत्ति को :-

- (क) स्वीकार कर लिया गया है और उक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक के मतदाता क्रमांक पर उल्लेखित श्री/श्रीमती/कुमारी के नाम को विलोपित कर दिया गया है.
- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
जनपद पंचायत
जिला

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची में सम्मिलित नाम पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित 'प्रारूप-ER-2')

मतदाता का विवरण जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने पर आपत्ति है.

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता का नाम	
मतदाता क्रमांक	

आपत्तिकर्ता का मतदाता सम्बंधी एवं अन्य विवरण

नाम										
पिता/पति										
पता										
जिला										
जनपद पंचायत										
ग्राम पंचायत										
ग्राम/वार्ड क्रमांक										
मतदाता क्रमांक										
मोबाईल नम्बर										

आपत्ति का आधार

.....
.....
.....
.....
.....
.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर या
 अंगूठे का निशान

विलोपन

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री / श्रीमती / कुमारी	
द्वारा ER-2 में प्रस्तुत आपत्ति को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक के मतदाता क्रमांक पर उल्लेखित श्री / श्रीमती / कुमारी के नाम को विलोपित कर दिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-

पंचायत निर्वाचन
मतदाता सूची में सम्मिलित नाम पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-2")

मतदाता का विवरण जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने पर आपत्ति है.

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता का नाम	
मतदाता क्रमांक	

आपत्तिकर्ता का मतदाता सम्बंधी एवं अन्य विवरण

नाम										
पिता/पति										
पता										
जिला										
जनपद पंचायत										
ग्राम पंचायत										
ग्राम/वार्ड क्रमांक										
मतदाता क्रमांक										
मोबाईल नम्बर										

आपत्ति का आधार

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर या
 अंगूठे का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)	

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है. 2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :- 	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला
---	--

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री / श्रीमती / कुमारी	
द्वारा ER-2 में प्रस्तुत आपत्ति को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक के मतदाता क्रमांक पर उल्लेखित श्री / श्रीमती / कुमारी के नाम को विलोपित कर दिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-

पंचायत निर्वाचन
मतदाता सूची में सम्मिलित नाम पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित 'प्रारूप-ER-2')

मतदाता का विवरण जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने पर आपत्ति है.

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता का नाम	
मतदाता क्रमांक	

आपत्तिकर्ता का मतदाता सम्बंधी एवं अन्य विवरण

नाम										
पिता/पति										
पता										
जिला										
जनपद पंचायत										
ग्राम पंचायत										
ग्राम/वार्ड क्रमांक										
मतदाता क्रमांक										
मोबाईल नम्बर										

आपत्ति का आधार

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर या
 अंगूठे का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)	

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.

2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

.....

.....

.....

.....

.....

.....

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री / श्रीमती / कुमारी	
द्वारा ER-2 में प्रस्तुत आपत्ति को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक के मतदाता क्रमांक पर उल्लेखित श्री / श्रीमती / कुमारी के नाम को विलोपित कर दिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-

पंचायत निर्वाचन
मतदाता सूची में सम्मिलित नाम पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित 'प्ररूप-ER-2')

मतदाता का विवरण जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने पर आपत्ति है.

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता का नाम	
मतदाता क्रमांक	

आपत्तिकर्ता का मतदाता सम्बंधी एवं अन्य विवरण

नाम										
पिता/पति										
पता										
जिला										
जनपद पंचायत										
ग्राम पंचायत										
ग्राम/वार्ड क्रमांक										
मतदाता क्रमांक										
मोबाईल नम्बर										

आपत्ति का आधार

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर या
 अंगूठे का निशान

विलोपन

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री / श्रीमती / कुमारी	
द्वारा ER-2 में प्रस्तुत आपत्ति को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक के मतदाता क्रमांक पर उल्लेखित श्री / श्रीमती / कुमारी के नाम को विलोपित कर दिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-

पंचायत निर्वाचन
मतदाता सूची में सम्मिलित नाम पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-2")

मतदाता का विवरण जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने पर आपत्ति है.

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता का नाम	
मतदाता क्रमांक	

आपत्तिकर्ता का मतदाता सम्बंधी एवं अन्य विवरण

नाम										
पिता/पति										
पता										
जिला										
जनपद पंचायत										
ग्राम पंचायत										
ग्राम/वार्ड क्रमांक										
मतदाता क्रमांक										
मोबाईल नम्बर										

आपत्ति का आधार

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर या
 अंगूठे का निशान

विलोपन

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)	

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है। 2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :- 	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला
---	--

तारीख

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री / श्रीमती / कुमारी	
द्वारा ER-2 में प्रस्तुत आपत्ति को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और उक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक के मतदाता क्रमांक पर उल्लेखित श्री / श्रीमती / कुमारी के नाम को विलोपित कर दिया गया है.
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-

पंचायत निर्वाचन

मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन-आवेदन
(नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
मतदाता का नाम	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक

तारीख

श्री / श्रीमती / कमारी

द्वारा प्ररूप-ER-3 में प्रस्तुत आपत्ति को :-

- (क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :-

- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-



हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
जनपद पंचायत
जिला

पंचायत निर्वाचन

मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन-आवेदन
(नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
मतदाता का नाम	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5से.मी.X3.5से.मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)	

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-
.....
.....
.....
.....
.....

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री / श्रीमती / कुमारी	
द्वारा प्ररूप-ER-3 में प्रस्तुत आपत्ति को :-	
(क)	स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :-
(ख)	निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-

पंचायत निर्वाचन

मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन-आवेदन
(नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
मतदाता का नाम	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5से.मी.X3.5से.मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
का निशान

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)	

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

तारीख

श्री / श्रीमती / कमारी

द्वारा प्ररूप-ER-3 में प्रस्तुत आपत्ति को :-

- (क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :-

- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
जनपद पंचायत
जिला

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
मतदाता का नाम	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक

तारीख

श्री / श्रीमती / कमारी

द्वारा प्ररूप-ER-3 में प्रस्तुत आपत्ति को :-

- (क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :-

- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-



हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
जनपद पंचायत
जिला

पंचायत निर्वाचन

मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन-आवेदन
(नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
मतदाता का नाम	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है. 2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :- 	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला
तारीख	

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा प्ररूप-ER-3 में प्रस्तुत आपत्ति को :- (क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :- 	
	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत जिला

पंचायत निर्वाचन

मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन-आवेदन
(नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
मतदाता का नाम	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5से.मी.X3.5से.मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
का निशान

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक

तारीख

श्री / श्रीमती / कमारी

द्वारा प्ररूप-ER-3 में प्रस्तुत आपत्ति को :-

- (क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :-

- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-



हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
जनपद पंचायत
जिला

पंचायत निर्वाचन

मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन-आवेदन
 (नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
मतदाता का नाम	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक

तारीख

श्री / श्रीमती / कमारी

द्वारा प्ररूप-ER-3 में प्रस्तुत आपत्ति को :-

- (क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :-

- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-



हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
जनपद पंचायत
जिला

पंचायत निर्वाचन

मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन-आवेदन
(नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
मतदाता का नाम	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.
2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक

तारीख

श्री / श्रीमती / कमारी

द्वारा प्ररूप-ER-3 में प्रस्तुत आपत्ति को :-

- (क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :-

- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :-



हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
जनपद पंचायत
जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला



पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला

पंचायत निर्वाचन
 मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
 आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

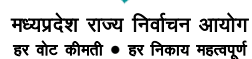
तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला





भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

129

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

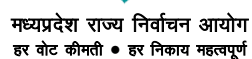
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला



दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

131

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

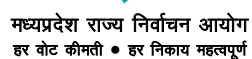
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला



भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

133

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

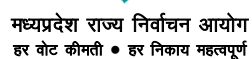
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला



भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

135

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

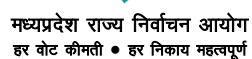
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला



दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

137

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

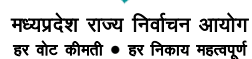
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला



दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

139

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

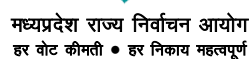
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला



भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

141

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

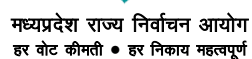
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला



भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

143

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

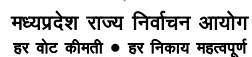
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला



भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

145

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

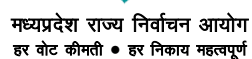
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला



भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

147

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

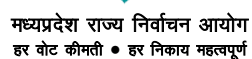
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला



भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

149

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

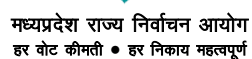
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला



भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

151

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

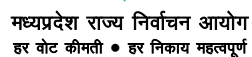
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला



भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

153

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

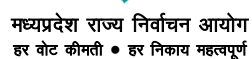
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला



भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

155

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

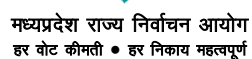
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला



भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

157

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला